राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान

ए-24-15, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग

सं. एनआईओएस/एसएसएस/एडीएम/96/14 दिनांक:- 15.05.2014

कार्यालय आदेश-6/2014

क्रेडिट स्थानांतरण के मानक कार्य प्रणाली

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) अपने पूर्व शिक्षार्थियों तथा कुछ अन्य बोर्डों के शिक्षार्थियों को क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) की सुविधा देता है । ये अन्य बोर्ड वे हैं जिन्होंने अंकों/परिणामों की सत्यता के सत्यापन के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । ऐसे शिक्षार्थी जो एनआईओएस में क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वे अपने मूल बोर्ड की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनसे अनुरोध है कि ये दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ें । क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा उन सभी चार स्ट्रीमों में प्रदान की जाती है जिनमें प्रवेश दिए जाते हैं। ऐसे बोर्डो की सूची संलग्नक-I पर दी गई है।

"क्रेडिट स्थानांतरण " की योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) इस प्रकार है:-

1. योग्यता

(क) एनआईओएस के पूर्व शिक्षार्थी

एनआईओएस के माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर के पूर्व शिक्षार्थी जिन्होंने अपने प्रवेश की पांच वर्ष की वैधता अवधि पूरी कर ली है किन्तु वे अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाए हैं, वे एनआईओएस में पुन:प्रवेश प्राप्त करने के योग्य हैं। पिछले प्रवेश के दौरान उत्तीर्ण किए गए विषयों (अधिकतम चार विषय) के अंक नए प्रवेश में स्थानांतरित किया जाएगा, यदि ये विषय पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तीर्ण किए गए हैं। कृपया यह ध्यान रखें कि एनआईओएस के उन शिक्षार्थियों को पुन:प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनका प्रवेश अभी वैध है अर्थात उनकी पांच वर्ष की वैधता अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) अन्य बोर्डों के पूर्व-शिक्षार्थी

अन्य बोर्डो (संलग्नक-I) के माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक स्तर के पूर्व शिक्षार्थी जो कम से कम के एक विषय में उत्तीर्ण हैं किन्तु वे पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएं हैं, वे अपने अंक स्थानांतरित करा सकते हैं। क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा अधिकतम दो विषयों में इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि ये विषय

पिछले पाँच वर्षों में उत्तीर्ण किए गए हैं । केवल उन विषयों में क्रेडिट दिये जाएंगे जो एनआईओएस की परीक्षा योजना के अनुसार अध्ययन की योजना में शामिल हैं।

2. स्ट्रीम-। तथा स्ट्रीम-।। में क्रेडिट स्थानांतरण प्रदान करने के लिए सामान्य नियम और प्रक्रियाएं

शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एनआईओएस में पंजीकरण के समय ही क्रेडिट स्थानांतरण का विकल्प लें । तथापि, शिक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिणाम की घोषणा के बाद भी क्रेडिट स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

जब पंजीकरण के समय इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है:

2.1 क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के विकल्प का प्रयोग प्रवेश/पुनः (एनआईओएस के पूर्व शिक्षार्थी) के समय किया जाना चाहिए । एक बार विकल्प का चयन का लेने ले बाद उसे अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इस विकल्प में किसी प्रकार के संवर्धन, आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2.2 एनआईओएस से चार उत्तीर्ण विषयों और योग्य मूल बोर्डों से उत्तीर्ण अधिकतम दो विषयों के अंकों का स्थानांतरण वैध होगा।

2.3 जिन विषयों के लिए "क्रेडिट स्थानांतरण" मांगा गया है, वे ऐसे विषय होने चाहिए जो एनआईओएस के पाठ्यक्रम में होंगे या उसके समकक्ष होंगे।

2.4 **यदि क्रेडिट स्थानांतरण के लिए जिन विषयों का चयन किया गया है उनमें कोई प्रयोग/सिद्धांत पक्ष नहीं है और एनआईओएस में मौजूद इन विषयों में सिद्धांत और प्रयोग दोनों विद्यमान हैं अथवा इसके विपरीत स्थिति है तो इन विषयों को समान नहीं माना जाएगा।**

2.5 यदि सिद्धांत और प्रयोग पक्ष के बीच अंकों के महत्व का समानुपात एवं सदृश अंकों का महत्व एनआईओएस की परीक्षा योजना के अनुसार भिन्न है तो क्रेडिट स्थानांतरण एनआईओएस प्राधिकारियों के विशेषाधिकार के अनुसार सिद्धांत/प्रयोग पक्षों में अंकों के अंतर के समायोजन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2.6 समान मूल बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा सहित केवल **मूल अंक तालिकाओं के आधार पर** ही केवल एक बार क्रेडिट स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।

2.7 स्थानांतरित किए जाने वाले क्रेडिट शिक्षार्थी द्वारा पुनः प्रवेश के पिछले पाँच वर्षों में ही प्राप्त किए गए हों ।

2.8 **क्रेडिट स्थानांतरण में किसी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।** यदि शिक्षार्थी उस विषय की परीक्षा देता है जिसके लिए उसने क्रेडिट स्थानांतरण का विकल्प चुना है तो परीक्षा के परिणाम में उस विषय विशेष का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

2.9 यदि योग्य बोर्डों से किसी शिक्षार्थी ने दो से अधिक विषयों के लिए क्रेडिट स्थानांतरण का विकल्प चुना है तो, किसी अन्य पहलू पर विचार किए बिना सर्वोत्तम दो विषयों के लिए अंक स्थानांतरित किए जाएंगे ।

2.10 यदि यह पाया जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने गलत विवरण/दस्तावेज़ो के आधार पर क्रेडिट स्थानांतरण प्राप्त किया है तो उसे एनआईओएस में प्रवेश प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और एनआईओएस ऐसी शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणामों को रद्द करने सहित उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी रखता हे।

2.11 समय-समय पर एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार शिक्षार्थी को क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) से इतर अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

2.12 किसी भी स्थिति में उत्तीर्ण शिक्षार्थी को क्रेडिट स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

जब परिणाम घोषित होने के पश्चात इस विकल्प का चयन किया जाता है:

2.13 संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में जहां से शिक्षार्थी ने एनआईओएस की परीक्षा दी है वैध कारणों सहित क्रेडिट स्थानांतरण के लिए अनुरोध करना होगा ।

2.14 टीओसी के लिए अनुरोध करते समय शिक्षार्थी को मूल बोर्ड द्वारा जारी **मूल अंक तालिका, अंक तालिका की सत्यापित प्रति** और एनआईओएस द्वारा जारी सभी मूल दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

2.15 इस प्रकार के अनुरोध पर शिक्षार्थी द्वारा मूल बोर्ड की परीक्षा में बैठने से तीन वर्ष के भीतर ही विचार किया जा सकता है।

2.16 शेष नियम वही रहेंगे जो पंजीकरण के समय विकल्प का प्रयोग करने के मामले में होते हैं।

3. शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाले कार्रवाई

जब पंजीकरण के समय यह विकल्प चुना जाता है:

3.1 ऐसे शिक्षार्थी जो क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त करना चाहते है उन्हें आवेदन फॉर्म (ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी मामला हो) में वांछित विवरण भरना होगा और वह **मूल अंक तालिका** संलग्न करनी होगी जिससे क्रेडिट स्थानांतरण किए जाने हैं तथा उसकी एक सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी।

3.2 जब पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा तो शुल्क के भुगतान के लिए एनआईओएस द्वारा उपलब्ध कराये गए माध्यमों के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

जब परिणामों की घोषणा के पश्चात यह विकल्प किया जाएगा:-

3.3 शिक्षार्थी को वांछित विवरण भरते हुए निर्धारित प्रपत्र **(संलग्नक-2)** में एनआईओएस के संबन्धित क्षेत्रीय केन्द्र में आवेदन करना होगा उन्हें इसके साथ **अंकतालिका की मूल प्रति**, जिससे क्रेडिट

स्थानांतरण किया जाना है और उसकी एक सत्यापित फोटोप्रति और एनआईओएस द्वारा जारी मूल दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे ।

3.4 आवेदन शुल्क का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और एनआईओएस के संबन्धित क्षेत्रीय केंद्र के स्थान पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करना होगा।

4. क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) का आवेदन प्राप्त करने पर क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा निम्नलिखित की जांच की जाएगी:

4.1 प्रवेश फार्म की जांच करना और सुनिश्चित करना कि उसमें सभी विवरण सही प्रकार से भरे गए हैं।

4.2 शिक्षार्थी की मूल अंक तालिका से क्रेडिट स्थानांतरण के विषयों के विवरणों की जांच करना।

4.3 जांच करना कि टीओसी के लिए शुल्क प्राप्त हुआ है या नहीं।

4.4 योग्य बोर्डों के मामले में टीओसी के विवरणों का सत्यापन संबंधित बोर्ड से प्राप्त परिणाम की सहायता से इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाए । यदि टीओसी विवरणों का सत्यापन परिणाम सीडी से नहीं किया गया है तो, संबन्धित क्षेत्रीय केन्द्र संबंधित बोर्ड से इसका सत्यापन करवाएगा । **सत्यापन के बिना क्रेडिट स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जाएगा।**

4.5 क्षेत्रीय निदेशक संबंधित बोर्ड (बोर्डों) से डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और इस रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखेंगे।

4.6 निदेशक, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ, एनआईओएस के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय निदेशक निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगे:

1. क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्रीय निदेशक, अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी बोर्डों (औपचारिक और एसओएस) से सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारीगण जो परीक्षा का काम देख रहे हों।
3. शिक्षा के क्षेत्र के दो सेवारत या सेवानिवृत्त विशेषज्ञ
4. क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य शिक्षा बोर्डों से सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी
5. मुख्यालय से नामिति (गैर-कार्यालयी)
6. एनआईओएसके क्षेत्रीय केन्द्र में परीक्षा का कार्य करने वाले अधिकारी - संयोजक।

4.7 टीओसी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

4.8 क्रेडिट स्थानांतरण समिति की विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगी:

i. शिक्षार्थीयों द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना।

ii. प्राप्त अंकों की सत्यता की जांच करना।

iii. संबंधित बोर्ड के डाटा/रिकॉर्ड से अंकों की जांच करना।

iv. समानुपातिक रूप से प्रदान किए गए अंकों की जांच करना।

v. बोर्ड के संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके अंक तालिका का सत्यापन करना।

vi. टीओसी की सत्यता की जांच के लिए यथा उपयुक्त कोई अन्य कार्रवाई करना।

4.9 पुन:प्रवेश के मामलों का डाटा अलग से पंच किया जाएगा और जांच सूची की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।

4.10 यदि एक शिक्षार्थी को क्रेडिट स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जाता है तो, उसे क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अगली परीक्षा अर्थात अप्रैल-मई परीक्षा या अक्टूबर /नवंबर परीक्षा के आरंभ होने से पर्याप्त समय पहले तद्नुसार इसकी सूचना प्रदान की जाएगी और विशेष मामले के रूप में उसे अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे शिक्षार्थी को अगली परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान की अनुमति भी दी जाएगी। शिक्षार्थी को क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क और एक विषय के लिए पंजीकरण शुल्क के बीच के अंतर का भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी, यदि यह लागू हो।

4.11 टीओसी केवल उन्हीं विषयों में किया जाएगा जो एनआईओएस की अध्ययन योजना और परीक्षा योजना के अनुसार हैं, ऐसा देखा गया है कि कुछ बोर्डों में अंक तालिका में सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षा के अंक विभाजित करके नहीं नहीं दिये हैं। ऐसे मामलों पर टीओसी के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक सिद्धांत और प्रयोगिक परीक्षा के अंकों का विभाजन प्राप्त नहीं कर लिया जाता। शिक्षार्थियों को भी तद्नुसार इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

4.12 क्षेत्रीय निदेशक पहले से ही संबंधित बोर्ड से डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और भविष्य के लिए उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे ।

4.13 यदि क्रेडिट स्थानांतरण का अनुरोध संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर के बोर्ड से प्राप्त हुआ है तो वांछित कार्रवाई को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से परिणाम की साफ्ट प्रति प्राप्त की जाएगी।

4.14 सभी क्षेत्रीय निदेशक अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोर्डों से परिणामों की साफ्ट प्रति एकत्र करेंगे और स्ट्रीम -III तथा स्ट्रीम -IV में टीओसी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इसकी एक सीडी मुख्यालय भेजेंगे।

4.15 क्षेत्रीय केंद्र क्रेडिट स्थानांतरण के लिए गतिविधियों के कैलेंडर को आधार बनाकर टीओसी के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। (**संलग्नक-3**)

4.16 टीओसी समिति की रिपोर्टें जिन प्रारूपों में भर कर मुख्यालय भेजनी हैं, वे अनुलग्नक- IV और V पर दिये गए हैं ।

4.17 टीओसी मामलों को अनुमोदन ओरदन करने के लिए निदेशक (वि.स.से.) एनआईओएस सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

5. स्ट्रीम -III तथा स्ट्रीम-IV के लिए मुख्यालय में टीओसी समिति का गठन

स्ट्रीम-III तथा स्ट्रीम -IV के मामलों पर कार्रवाई विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग के प्रवेश प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है । टीओसी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक -अध्यक्ष

(ii) परीक्षा प्रणाली से भलीभांति परिचित सीबीएसई के प्रतिनिधि जो कम से कम सहायक सचिव स्तर के हों।

(iii) परीक्षा प्रणाली से भलीभांति परिचित केवीएस या एनवीएस के प्रतिनिधि जो कम से कम सहायक सचिव स्तर के हों।

(iv) सहायक निदेशक (प्रवेश), वि.स.से.

(v) निदेशक (वि.स.से.) द्वारा नामित दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य

(vi) अनुभाग अधिकारी (प्रशासन, वि.स.से.), एनआईओएस- संयोजक

यदि दिशानिर्देशों से किसी प्रकार की भिन्नता होती है, तो मुद्दा अनुमोदन के लिए निदेशक (वि.स.से.) के समक्ष लाया जाएगा । और किसी भी मामले में क्षेत्रीय निदेशक उपर्युक्त दिशानिर्देशों से परे किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे। सभी क्षेत्रीय निदेशक समिति के गठन के लिए दिशानिर्देश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर समिति में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करेंगे ।

यह अध्यक्ष एनआईओएस के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

18/8/2014

निदेशक

विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

प्रति प्रेषित : :

1. सहायक निदेशक (अध्यक्ष कार्यालय) सूचनार्थ
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. संयुक्त निदेशक (वि.स.से.)
4. सहायक निदेशक (प्रवेश) वि.स.से.
5. एसएपी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस प्रणाली और अधिसूचना के संबंध में वेबसाइट पर सभी आवश्यक अपडेशन करें।
6. सभी क्षेत्रीय निदेशक (वे सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु इसे कृपया अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले सभी एआई के समन्वयकों के संज्ञान में लाएं)।
7. अनुभाग अधिकारी और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी।
8. कार्यालय आदेश फाइल।